

प्राचीर्ण आदेश सं 0.2.4.../2015, दिनांक 23.4.2015

न्यायालयों का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु माह मई, 2015 से नवम्बर, 2015 तक अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य का निस्तारण किये जाने हेतु नियमित प्रकार से रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को डिप्यूट किया जाता है।

<u>माह</u>	<u>रिमाण्ड डिप्यूटी</u>
1- मई, 2015	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी।
2- जून, 2015,	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
3- जुलाई, 2015	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी।
4- अगस्त, 2015,	मुख्य यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
5- सितम्बर, 2015	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी।
6- अक्टूबर 2015,	मुख्य यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
7- नवम्बर, 2015	सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई टिहरी।

सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्रनगर अवकाश के दिनों में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित रिमाण्ड एवं अर्जेंट कार्य स्वयं करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्य मुख्यालय पर उपस्थिति रिमाण्ड मजिस्ट्रेट सम्पादित करेंगे।

(श्रीमती गीता चौहान)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल।
- 2- सिविल जज (जूनियर डिविजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी गढ़वाल।
- 3- सिविल जज (जूनियर डिविजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
- 4- वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 5- अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, टिहरी गढ़वाल।

(श्रीमती गीता चौहान)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
टिहरी गढ़वाल।

24/4/15  
24/4/15  
24/4/15  
24/4/15  
24/4/15